



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 191 राँची, मंगलवार,

28 मार्च, 2023 (ई०)

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

संकल्प

27 मार्च, 2023

विषय: राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ/वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका से संबंधित पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प सं० 259 दिनांक 28.08.2017 में संशोधन ।

संचिका संख्या: 2/स०-2संस्कृति-24/15 05--पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्यविभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के श्रेष्ठ तथा बेहतरीन 60 वर्ष से अधिक के वृद्ध कलाकारों, जो वर्तमान में आर्थिक विपन्नता अथवा अस्वस्थता के कारण अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तथा दयनीय जीवन यापन करने पर मजबूर हैं, उन्हें प्रतिमाह रू० 1000/- (एक हजार) रुपये मासिक वृत्तिका प्रदान किए जाने संबंधी पात्रता, मापदण्ड, प्रक्रिया संबंधी विभागीय संकल्प सं० 259 दिनांक 28.08.2017 निर्गत है ।

2. संबंधित संकल्प के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवेदन आमंत्रित किए गए, जिस क्रम में संबंधित योजना के निर्धारित मानकों यथा कंडिका 2(iii) एवं 2(iv) के अनुरूप वर्तमान में उक्त योजना के कोई लाभुक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
3. योजना का वास्तविक लाभ अधिक से अधिक पात्र कलाकारों को प्राप्त हो सके अतएव संबंधित संकल्प द्वारा निर्धारित पात्रता में संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए उक्त संकल्प को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

विभागीय संकल्प सं० 259 दिनांक 28.08.17	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1	2	3
कंडिका 1	प्रति कलाकार प्रतिमाह 1000/- रु० की मासिक निवृत्तिका प्रदान की जायेगी	प्रति कलाकार प्रतिमाह 4000/- रु० की मासिक निवृत्तिका प्रदान की जायेगी
कंडिका 2(iii)	कलाकार जो अन्य सरकारी स्रोतों से इसी प्रकार की अन्य वृत्तिकाओं के लाभ नहीं ले रहा हो।	कंडिका विलोपित करने का प्रस्ताव है।
कंडिका 2(iii)	आवेदक कलाकार की मासिक आय रु० 4,000/- (चार हजार) रुपये प्रतिमाह से कम हो।	आवेदक कलाकार की मासिक आय रु० 8,000/- (आठ हजार) रुपये प्रतिमाह से कम हो।

4. उक्त संशोधन के साथ ही प्रति वर्ष निवृत्तिका हेतु कलाकारों की उच्चतम संख्या एक सौ (100) का प्रावधान होगा।
5. पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प सं०-259, दिनांक-28.08.2017 की अन्य कंडिकाओं के प्रावधान यथावत रहेंगे।
6. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक- 15.03.2023 को आहूत बैठक के मद सं० 05 में अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव
